अध्याय-3

विद्युत क्षेत्र - अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

अध्याय 3

3 विद्युत क्षेत्र - अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

राज्य सरकार की विद्युत क्षेत्र की कंपनियों की नमूना-जांच से उपलब्ध महत्वपूर्ण परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित है:

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

3.1 परिहार्य व्यय

कंपनी ने 2016-17 के दौरान कोयले के कम उठान के लिए मुआवजे के रूप में ₹ 27.29 करोड़ का भुगतान किया, क्योंकि इसने पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की संशोधित परिचालन आवश्यकता के अनुरूप कोल इंडिया लिमिटेड के साथ कोयले की वार्षिक अनुबंधित मात्रा में कमी के लिए समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कंपनी) ने अपने पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) के आठ यूनिटों (1,360 मेगावाट क्षमता) की कोयला आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 66 लाख टन[1] की कुल वार्षिक अनुबंधित मात्रा (ए.सी.क्यू.) के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) की तीन सहायक कंपनियों के साथ दीर्घकालिक कोयला आपूर्ति अनुबंध (सी.एस.ए.) किए थे। सी.एस.ए. के नियम और शर्तों के अनुसार, यदि किसी वर्ष में कोयला उठाने का स्तर ए.सी.क्यू. के 90 प्रतिशत से नीचे रहता तो क्रेता कम कोयला उठाने के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय (9 दिसंबर 2015) के अनुसार कंपनी ने 9 दिसंबर 2015 से पी.टी.पी.एस. की यूनिट 1 से 4 (440 मेगावाट क्षमता) को हटा दिया, क्योंकि इन यूनिटों के व्यावसायिक उपयोगी जीवन समाप्त हो गए थे। इन यूनिटों को उनकी उच्च लागत के कारण शेड्यूल[2] नहीं मिल रहा था और अंत में जनवरी 2016 में बंद कर दिया गया था। इकाइयों के बंद होने से कोयले की आवश्यकता कम हुई। परिणामत:, कंपनी को सी.एस.ए. के संदर्भ में कोयले के कम उठान के लिए मुआवजे के भुगतान से बचने के लिए अपने ए.सी.क्यू. को कम करने के लिए समय पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने संयंत्र की क्षमता में कमी के मद्देनजर कोयले की आवश्यकता का आकलन नहीं किया और ए.सी.क्यू. कम कराने के लिए सक्रिय उपाय नहीं किए। ऐसा 24 जून 2016 को ही किया गया, जब सी.आई.एल. ने एकतरफा तौर पर पी.टी.पी.एस. के ए.सी.क्यू. को 66 लाख टन से घटाकर 44.65 लाख टन करने का फैसला किया, इसी प्रकार सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.) द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा को भी बदल दिया गया। कंपनी ने सी.आई.एल. के साथ बैठक में जोर दिया (29 जुलाई 2016) कि पी.टी.पी.एस. के लिए सी.सी.एल. का ए.सी.क्यू. बरकरार रखा जाए और इसके एवज में बी.सी.सी.एल. के ए.सी.क्यू. को समान रूप से कम किया जाए। इस बीच, सी.सी.एल. और बी.सी.सी.एल. ने जून 2016

---

1 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बी.सी.सी.एल.): 33.50 लाख टन, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.): 29.50 लाख टन और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यू.सी.एल.): 3 लाख टन।

2 लागत के आधार पर बिजली की खरीद के लिए डिस्कॉम्स द्वारा तैयार किया गया योग्यता क्रम।

में सी.आई.एल. द्वारा तय किए गए ए.सी.क्यू. के लिए साइड एग्रीमेंट के निष्पादन के लिए कंपनी से अनुरोध किया (जुलाई-अगस्त 2016)।

कंपनी ने राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद (6 जनवरी 2017) 22.65 लाख टन की कम मात्रा के लिए बी.सी.सी.एल. के साथ साइड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया (9 सितंबर 2016)। 22.65 लाख टन के घटाए गए ए.सी.क्यू. के लिए साइड एग्रीमेंट को बी.सी.सी.एल. के साथ निष्पादित किया गया था (18 जनवरी 2017)। सी.आई.एल. ने पी.टी.पी.एस. के कोयला स्रोतों को और अधिक युक्तिसंगत बनाया (मार्च 2017) और सी.सी.एल. के साथ (26.65 लाख टन के घटे हुए ए.सी.क्यू. के लिए) और बी.सी.सी.एल. (आगे घटने वाले 15 लाख टन ए.सी.क्यू. के लिए) साइड एग्रीमेंट्स पर क्रमशः 30 मार्च 2017 और 12 मई 2017 को हस्ताक्षर किए गए, जो 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी थे। इस प्रकार, कम मुआवजे के रूप में कम ए.सी.क्यू. का पूर्ण लाभ 2017-18 से प्राप्त किया जा सका।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए कम कोयला उठाने के मुआवजे के रूप में बी.सी.सी.एल. को ₹ 58.07 करोड़ का भुगतान किया। यदि कंपनी ने ए.सी.क्यू. में कमी के लिए दिसंबर 2015 में अपनी यूनिटों की डी-कमीशनिंग के तुरंत बाद सी.आई.एल. के साथ मिलकर मामला उठाया होता और 15 लाख टन की आवश्यकता के दृष्टिगत 1 अप्रैल 2016 से साइड एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए होते तो 2016-17 में कम उठान के लिए ₹ 27.29 करोड़[3] के मुआवजे के भुगतान से बचा जा सकता था।

सरकार ने बताया (जून 2019) कि पुरानी यूनिटों को हटाने के संबंध में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का अनुमोदन पूर्व-अपेक्षित था और उसके बाद ही कोयले की अनुबंधित मात्रा को कम किया जा सकता था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार ने दिसंबर 2015 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सितंबर 2015 की सिफारिश के बाद पी.टी.पी.एस. की 1 से 4 इकाइयों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया था। इसके अलावा, अप्रैल 2016 में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की मंजूरी देश की स्थापित क्षमता से सेवानिवृत्त इकाइयों की क्षमता को हटाने के लिए थी, जिसने कंपनी को सी.आई.एल. के साथ ए.सी.क्यू. के संशोधन के मामले को उठाने से नहीं रोका। यह देखा जा सकता है कि कंपनी त्वरित पहलों के साथ अपने हितों को सुरक्षित करने में विफल रही, और पूरी तरह से सी.आई.एल. की पहल पर निर्भर थी। इस निष्क्रिय दृष्टिकोण के कारण वर्ष 2016-17 के दौरान आवश्यक मात्रा में संशोधन नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप सी.आई.एल. के लाभ के लिए जुर्माने का भुगतान किया गया।

यह सिफारिश की जाती है कि मामले में कंपनी की देरी से कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी नियत की जाए।

---

[3] ₹ 58.07 करोड़ (2016-17 के लिए 22 लाख मीट्रिक टन ए.सी.क्यू. के साथ बी.सी.सी.एल. को कम उठान के लिए भुगतान किया गया वास्तविक मुआवजा) - ₹ 30.78 करोड़ (यदि ए.सी.क्यू. 15 लाख मीट्रिक टन तक कम हो गया होता तो देय मुआवजा)।

3.2 जनरेटर ट्रांसफार्मर की अवैध खरीद

कंपनी ने अपने पानीपत थर्मल पावर स्टेशन के लिए ₹ 9.35 करोड़ मूल्य के जनरेटर ट्रांसफॉर्मर की अविवेकशील खरीद की।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कंपनी) ने यूनिट-5 के मौजूदा जनरेटर ट्रांसफॉर्मर. (जी.टी.)[4] के खराब हो जाने (अप्रैल 2013) तथा इसकी उपयोगिता अवधि को ध्यान में रखते हुए ₹ 7.64 करोड़ (माल ढुलाई और करों को छोड़कर) की लागत से पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) के यूनिट-5[5] में (यूनिट-6[6] में उपयोग की वैकल्पिक व्यवस्था के साथ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) से नए जी.टी. की खरीद के लिए खरीद आदेश (पी.ओ.) जारी किया (जून 2014)। पी.ओ. के नियम और शर्तों में बताया गया था कि भेल वितरण कार्यक्रम का सख्त अनुपालन करते हुए जी.टी. की आपूर्ति करेगा और यदि डिलीवरी अवधि के भीतर इसकी आपूर्ति करने में विफल रहा, तो कंपनी को कम दरों पर भी इसकी आपूर्ति को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। भेल को 8 अक्तूबर 2015 तक जी.टी. डिलीवर करना था। लेकिन भेल केवल 15 दिसंबर 2015 को जी.टी. पूर्व-डिस्पैच निरीक्षण के लिए प्रस्तुत कर सका, जोकि निर्धारित वितरण अवधि के उपरांत था।

इस बीच, कंपनी ने यूनिट-5 के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण हेतु बॉयलर टरबाइन जनरेटर के अवशिष्ट जीवन का मूल्यांकन करने के लिए हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (एच.ई.आर.सी.) को उसकी मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (नवंबर 2015)। हालांकि, एच.ई.आर.सी. ने कंपनी के प्रस्ताव को खारिज (मार्च 2016) कर दिया, जिसमें बताया गया था कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (दिसंबर 2015) संशोधित उत्सर्जन मानकों के आलोक में इतनी पुरानी यूनिट के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण पर किए जाने वाले व्यापक पूंजीगत व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

मई 2016 में कंपनी ने पाया कि कम मांग के कारण पी.टी.पी.एस. की यूनिट-5 और 6 छः से आठ महीने की अवधि के लिए बंद रहीं और जी.टी. की खरीद का उच्च वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, इसलिए, भेल से यह पुष्टि करने के लिए कहा गया (मई 2016) कि क्या इस जी.टी. की आवश्यकता किसी अन्य बिजली उपयोगिता में थी। भेल ने बताया (मई 2016) कि उक्त जी.टी. किसी अन्य बिजली उपयोगिता की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएगा। अतः कंपनी ने अनुबंध की बाध्यता का हवाला देते हुए जी.टी. की डिलीवरी को स्वीकार करने का निर्णय लिया (अगस्त 2016), हालांकि, कंपनी विलंबित प्रस्ताव के कारण इसे स्वीकार करने से मना कर सकती थी। भेल ने 26 अक्तूबर 2016 को जी.टी. की आपूर्ति की। चूंकि जी.टी. की वारंटी अवधि (18 माह) 23 मार्च 2018 को समाप्त होने वाली थी, कंपनी ने पी.टी.पी.एस. में इसकी प्राप्ति के 16 माह बाद यूनिट-6 पर वर्तमान में कार्य कर रहे जी.टी. को हटाकर ₹ 9.35[7] करोड़ की लागत से नया जी.टी. स्थापित किया (9 मार्च 2018)।

---

4 जेनरेटर ट्रांसफार्मर पावर स्टेशन और प्रसारण नेटवर्क के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। यह जेनरेटर आउटपुट को ग्रिड से जोड़ता है। प्रत्येक निर्माण यूनिट के लिए एक जी.टी. होता है।

5 28 मार्च 1989 को चालू किया गया।

6 31 मार्च 2001 को चालू किया गया।

7 मूल दामः ₹ 7.64 करोड़, उत्पाद शुल्कः ₹ 95.50 लाख, केंद्रीय बिक्री करः ₹ 17.19 लाख, माल ढुलाई प्रभारः ₹ 22.50 लाख और मौजूदा जी.टी. को हटाना और नए जी.टी. को स्थापित करना, जांचना और चालू करनाः ₹ 35.99 लाख।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी इस तथ्य से भली-भांति अवगत थी कि राज्य बिजली वितरण कंपनियों को सस्ती दरों[8] पर बिजली की उपलब्धता के कारण बिजली की मांग का परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया था, जिसके परिणामस्वरूप इस निवेश के बावजूद यूनिट बंद रहती। इसके अतिरिक्त, एच.ई.आर.सी. ने मार्च 2016 में पुरानी यूनिट पर नवीनीकरण और आधुनिकीकरण व्यय को स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया और कंपनी पी.ओ. की शर्तों के अनुसार देरी से डिलीवरी की स्वीकृति से इनकार करने का अधिकार रखती थी लेकिन इसने इसका उपयोग नहीं किया। इस प्रकार, घटाई गई वारंटी अवधि के साथ जी.टी. के विलंबित वितरण को स्वीकार करने का कंपनी का निर्णय अनुचित था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 9.35 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

सरकार ने बताया (मई 2019) कि डिलीवरी की निर्धारित तिथि समाप्त होने के बाद जी.टी. को स्वीकार करने के निर्णय की उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवेकपूर्ण ढंग से समीक्षा की गई थी और प्रबंधन द्वारा यूनिट-5 की तुलना में यूनिट-6 के अधिक चलने के पूर्वानुमान के दृष्टिगत यूनिट-6 में भविष्य के उपयोग हेतु इस जी.टी. की खरीद का निर्णय लिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब तक भेल ने पूर्व-डिस्पैच निरीक्षण के लिए जी.टी. प्रस्तुत किया था (दिसंबर 2015), तब तक अधिक प्रतिस्पर्धी दरों पर बिजली की उपलब्धता के कारण बिजली की मांग का परिदृश्य बदल गया था। इसके अतिरिक्त, यूनिट-6 के मूल रूप से स्थापित जी.टी. ने कुल 25 वर्षों के उपयोगी सेवाकाल में से केवल 16 वर्ष पूरे किए थे और यह सुचारू ढंग से कार्य कर रहा था। अत: नए जी.टी. की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, आपूर्ति में हुई देरी को स्वीकार करते हुए, कंपनी ने पी.ओ. में दर्ज अधिकारों के साथ-साथ अपने वित्तीय हित की अवहेलना की।

यह सिफारिश की जाती है कि प्रबंधन जी.टी. की अविवेकशील खरीद के लिए उत्तरदायित्व नियत करे।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.3 ठेकेदार को अनुचित लाभ

कंपनी ने अनुबंध में सहमत हुए कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि की गणना के आधार को बदल दिया और ठेकेदार को ₹ 1.97 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया।

कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (ए.टी. एंड सी.) हानि को कम करने के लिए, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) ने ई-निविदाएं आमंत्रित करने के बाद, रानियां शहर फीडर के ऑपरेशन सर्कल सिरसा के अंतर्गत, एक वर्ष (2016-17) की अवधि के लिए अतिरिक्त राजस्व साझेदारी के आधार पर खुदरा आपूर्ति फ्रेंचाइजी के लिए मैसर्ज राज एसोसिएट्स, सिरसा (ठेकेदार) को नियुक्त किया (अप्रैल 2016)। निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.)/कार्य आदेश की शर्तें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करते थे कि:

[8] सासन पावर लिमिटेड अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स की चार यूनिट, जिनमें हरियाणा का आवंटन 445.5 मेगावाट था, अप्रैल 2014, मई 2014, दिसंबर 2014 और मार्च 2015 में चालू की गई थीं। मई 2015 में सासन द्वारा उत्पादित बिजली की प्रति यूनिट परिवर्तनीय लागत ₹ 1.15 थी जबकि यह पी.टी.पी.एस. की यूनिट 5 और 6 के लिए ₹ 3.71 थी।

- ठेकेदार, मासिक वसूलियों, संग्रह दक्षता और ए.टी. एंड सी. हानि के डाटा को मान्य करने के लिए स्वयं तत्परता रख सकता है और कंपनी तथा ठेकेदार संयुक्त रूप से बेस लाइन डाटा की गणना के लिए कार्य करेंगे।
- बोली प्रस्तुत करने से पहले, बोली लगाने वाले क्षेत्र का निरीक्षण और जांच कर सकते हैं और क्षेत्र की स्थितियों के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकते हैं तथा बोली या नियमों और शर्तों में बदलाव के लिए इस आधार पर कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा कि दर्ज परिस्थितियां भिन्न थीं।
- बेस हानि के स्तर को अंतिम रूप देने के बाद, पहली तिमाही में यह 10 प्रतिशत कम हो और शेष तीन तिमाहियों में पांच प्रतिशत घट जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए, कंपनी हानि घटाने के लक्ष्य की उपलब्धि/आंशिक उपलब्धि होने की स्थिति में ठेकेदार को 30/20 प्रतिशत वृद्धिशील राजस्व के साथ सांझा करेगी।
- बेस ए.टी. एंड सी. हानि स्तर से हानि में वृद्धि होने पर या कमी प्रक्षेपक के अनुरूप लक्ष्य हानि की गैर-उपलब्धि पर, निर्धारित फ़ार्मुलों के अनुसार ठेकेदार से जुर्माना वसूला जाना था। हानि कम करने के लक्ष्य की उपलब्धि/गैर-उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन/जुर्माना का त्रैमासिक आधार पर मूल्यांकन किया जाना था।

कंपनी और ठेकेदार द्वारा संयुक्त रूप से बेस ए.टी. एंड सी. हानि का स्तर 44.4 प्रतिशत[9] तय किया गया था। हालांकि, 2016-17 की पहली और दूसरी तिमाही में वास्तविक ए.टी. एंड सी. हानि क्रमशः 58.45 प्रतिशत और 65.16 प्रतिशत थी। इस प्रकार, कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार ठेकेदार पर ₹ 2.53 करोड़[10] का जुर्माना लगाया जाना था। चूंकि तीसरी और चौथी तिमाही में इस तरह की हानि क्रमशः (-) 0.02 प्रतिशत और 13.04 प्रतिशत दर्ज की गई थी, इन तिमाहियों के लिए ठेकेदार के साथ साझा किया जाने वाला वृद्धिशील राजस्व ₹ 0.40 करोड़[11] था। इस प्रकार, ठेकेदार से ₹ 2.13 करोड़) (₹ 2.53 करोड़ - ₹ 0.40 करोड़) की निवल राशि वसूल की जानी थी। कंपनी ने ठेकेदार को 15 दिनों के भीतर जुर्माना राशि जमा करने के लिए कहा (12 अप्रैल 2017)।

ठेकेदार ने भुगतान करने की बजाय यह याचना प्रस्तुत की कि उसे तिमाही विवरण के आधार पर दंडित किया गया है, जबकि अनुबंध का आधार रेखा डाटा पूरे वर्ष के लिए था। कंपनी ने माना कि डिस्कॉम परिचालनों में शामिल मौसमी प्रभाव के मद्देनज़र हर तिमाही में हानि के स्तर की पिछले वर्ष की इसी तिमाही के साथ तुलना की जानी चाहिए और केवल ₹ 15.74 लाख का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया (8 दिसंबर 2017) जो ठेकेदार द्वारा जमा किया गया (02 अप्रैल 2018)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी ने अनुबंध के नियमों और शर्तों को बाद में बदलकर जुर्माना राशि ₹ 2.13 करोड़ से मात्र ₹ 15.74 लाख तक घटाकर ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान किया। ठेकेदार को अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 तक के ए.टी. एंड सी. हानि के आंकड़ों के बारे में पता था, जिसके आधार पर ए.टी. एंड सी. हानि को अनुमानित किया गया था, जोकि अनुबंध में भी दर्शाया गया था। एन.आई.टी. की शर्तें ठेकेदार को स्पष्ट रूप से बताती हैं कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले वह पूरी तत्परता के साथ क्षेत्र की

---

9 अप्रैल 2015 से जनवरी 2016 (10 माह) तक मासिक ए.टी. एंड सी. हानियों का औसत।

10 पहली तिमाही के लिए ₹ 0.85 करोड़ और दूसरी तिमाही के लिए ₹ 1.68 करोड़।

11 तीसरी तिमाही के लिए ₹ 0.27 करोड़ और चौथी तिमाही के लिए ₹ 0.13 करोड़।

स्थिति का निरीक्षण करे। बाद में, अनुबंध की शर्तों में किसी ढील को अनुचित लाभ समझा जाएगा।

प्रबंधन ने बताया (जून 2019) कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत याचना पर, निदेशक मंडल ने जुर्माना लगाने तथा वृद्धिशील राजस्व साझा करने के लिए बेस लाइन डाटा की बजाय पिछले वर्ष की इसी तिमाही के ए.टी. एंड सी. हानि के साथ तिमाही ए.टी. एंड सी. हानि की तुलना करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने ए.टी. एंड सी. हानि की गणना के लिए वास्तविक आधार बदल दिया और अनुबंध की शुरुआत में की गई आधार हानि गणना (44.4 प्रतिशत) निरर्थक हो गई, जो अनुबंध का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है।

यह मामला सरकार और कंपनी के पास भेजा गया था (अक्तूबर 2019); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (अगस्त 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि खुदरा आपूर्ति फ्रेंचाइजी समझौते में प्रवेश करने से पहले कंपनी अनुबंध की शर्तों के औचित्य को सुनिश्चित करे और समझौता होने के बाद उसी का सख्ती से पालन करे।

3.4 सहमत विनिर्देशों के अनुरूप न होने पर केबल की स्वीकृति

कंपनी ने ₹ 53.15 लाख मूल्य के 35.268 कि.मी. केबल स्वीकार किए जो खरीद आदेश में निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप नहीं थी।

डी.एच.बी.वी.एन.एल. (कंपनी) ने रेट कॉन्ट्रैक्ट आधार पर ₹ 2.98 करोड़ की कुल लागत पर क्रॉस लिंक पॉलीइथाइलीन इन्सुलेशन के साथ अलग-अलग विवरण और मात्राओं के लो टेंशन (एल.टी.) एरियल बंच्ड केबल की खरीद के लिए एक फर्म को खरीद आदेश (पी.ओ.) दिया (जनवरी और मार्च 2016)। सामग्री की आपूर्ति ऑर्डर की गई मात्रा के 20 प्रतिशत के पांच बराबर लॉट में सप्लाई की जानी थी। पी.ओ. की नियम एवं शर्तों में यह प्रावधान किया गया था कि नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरीज (एन.ए.बी.एल.) एक्रीडिटिड लेबोरेटरी द्वारा सैंपल पास करने के बाद ही केबलों के प्रत्येक लॉट को स्वीकार किया जाएगा और फील्ड ऑफिस को जारी किया जाएगा। हालांकि, तात्कालिकता के मामले में, विक्रेता से इस बात की लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले सामग्री जारी की जा सकेगी, कि नमूने की विफलता के स्थिति में वह प्रतिस्थापन लागत वहन करेगा। इसके अतिरिक्त, अस्वीकृत लॉट की लागत के 10 प्रतिशत की दर पर लिक्विडेटेड डैमेज (एल.डी.) लगाया जाना था।

फर्म से ली गई लिखित सहमति (सितंबर 2016) के आधार पर एन.ए.बी.एल. परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने से पहले पांच लॉटों में प्राप्त किए गए ₹ 67.53 लाख मूल्य के 56.689 कि.मी. केबल में से ₹ 42.02 लाख के मूल्य के 25.464 कि.मी. केबल फील्ड ऑफिस को जारी किए गए थे। कंपनी के भंडारों में प्राप्त की गई, उपयोग की गई और पड़ी हुई केबलों की

पी.ओ.-वार मात्रा और मूल्य के विवरण निम्न तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 3.1: भंडारों में प्राप्त, प्रयुक्त और पड़े हुए केबलों के विवरण

पी.ओ. की संख्या और तिथि	कुल प्राप्त सामग्री		एन.ए.बी.एल. परीक्षण रिपोर्ट से पहले फील्ड में प्रयुक्त सामग्री		भंडारों में पड़ी अप्रयुक्त सामग्री	
	मात्रा (किमी)	लागत (₹ लाख में)	मात्रा (किमी)	लागत (₹ लाख में)	मात्रा (किमी)	लागत (₹ लाख में)
डी.एच.-1290 जनवरी 2016	40.786	59.42	23.018	40.77	17.768	18.64
डी.एच.-1313 मार्च 2016	15.903	8.11	2.446	1.25	13.457	6.87
कुल	**56.689**	**67.53**	**25.464**	**42.02**	**31.225**	**25.51**

स्रोत: कंपनी के अभिलेखों से संकलित डाटा

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि इन लॉट्स के केबलों के नमूने विफल हो गए (अक्तूबर 2016) क्योंकि उनका इन्सुलेशन 15 मिनट की निर्दिष्ट समय सीमा से पहले पिघल गया था। हालांकि कंपनी ने उक्त नमूनों की विफलता के बारे में फर्म को सूचित किया (अक्तूबर 2016), किंतु इसने फर्म से केबलों के पूरे स्टॉक अर्थात् प्रयुक्त के साथ-साथ अप्रयुक्त केबलों को बदलने के लिए नहीं कहा। हालांकि, बाद में इसने 31.225 किलोमीटर केबलों की केवल अप्रयुक्त अस्वीकृत सामग्री की लागत (₹ 25.51 लाख) और संपूर्ण अस्वीकृत सामग्री की लागत के 10 प्रतिशत पर एल.डी. जमा करने के लिए फर्म को नोटिस जारी किया (जनवरी 2017)। चूंकि फर्म ने अनुपालन नहीं किया, कंपनी ने उसके ₹ 44.79 लाख की बैंक गारंटी (बी.जी.) का नकदीकरण कर लिया (मई 2017)।

इस बीच, फर्म ने एक मुकद्दमा दायर किया (21 जनवरी 2017) कि कंपनी ने उन्हें दोषों को ठीक करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया और चूंकि कंपनी आंशिक मात्रा को अस्वीकार नहीं कर सकती थी, बी.जी. का नकदीकरण अवैध था। हालांकि, 'कोर्ट से बाहर सेटलमेंट' (जून 2018) में, फर्म संपूर्ण अस्वीकृत सामग्री की लागत का 10 प्रतिशत एल.डी. शुल्क (₹ 6.75 लाख) के लिए और अप्रयुक्त अस्वीकृत सामग्री की लागत (₹ 25.51 लाख) के लिए सहमत हुई जिससे कंपनी द्वारा बी.जी. का प्रतिसंहरण किया जा सके। कंपनी के स्टोर से फर्म द्वारा अस्वीकृत केबल उठाने के दौरान यह पता चला (दिसंबर 2018) कि 9.804 किमी अस्वीकृत केबल (₹ 11.13 लाख के मूल्य का), जिसकी पहले निगम के जींद स्टोर में पड़े होने की सूचना दी गई थी, कंपनी द्वारा इन केबलों को जारी न करने के लिए दिए गए निर्देश (अक्तूबर 2016) के बाद भी फील्ड कार्यालयों को जारी किए गए थे।

कंपनी ने पूरे लॉट की प्रतिस्थापन लागत को वसूल करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया, जिसके लिए आपूर्तिकर्ता का शपथ-पत्र होने के बावजूद बिछाए गए केबलों सहित नमूना एन.ए.बी.एल. परीक्षण में विफल रहा, और केवल 10 प्रतिशत एल.डी. प्रभारित करके ₹ 53.15 लाख मूल्य के 35.268 कि.मी. अवमानक केबलों को स्वीकार किया गया, जो कि खरीद आदेश की शर्तों के अनुसार, दोषपूर्ण सामग्री के प्रतिस्थापन के अतिरिक्त उद्ग्राह्य था। इसके अतिरिक्त, घटिया केबलों को बिछाकर, कंपनी ने अपनी मूलभूत संरचना की प्रभाविकता और सुरक्षा की अनदेखी की।

कंपनी ने बताया (नवंबर 2019) कि एन.ए.बी.एल. परीक्षण में खराब केबलों को फिर हटाना संभव नहीं था क्योंकि यह ठीक केबलों के साथ मिल गए थे और फील्ड में टुकड़ों में उपयोग

किए गए थे। इसके अतिरिक्त, उक्त केबलों की वारंटी अवधि नवंबर 2017 तक थी और फील्ड से कोई शिकायत नहीं मिली थी। प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वारंटी अवधि उस सामग्री की होती है जो मानदंड के अनुरूप हो और अब तक शिकायत प्राप्त न होना इस बात की गारंटी नहीं है कि 25 वर्ष की उपयोग अवधि के दौरान केबल के आंतरिक दोष के कारण कोई समस्या नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा नमूना विफलताओं के मामले में प्रतिस्थापन लागत वहन करने के लिए फर्म के उपक्रम के आधार पर एन.ए.बी.एल. परीक्षण के परिणाम से पहले सामग्री का उपयोग करने के लिए पी.ओ. के अंतर्गत अधिकार का प्रयोग करते हुए, शपथ-पत्रों को लागू करने और अपने हित की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए थी।

यह मामला सरकार के पास भेजा गया था (जून 2019); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी अपने वाणिज्यिक हित को पूरा करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त शपथ-पत्रों के प्रवर्तन से संबंधित अपनी मानक संचालन प्रक्रिया की समीक्षा करे।

3.5 उपभोक्ताओं की प्रतिभूति जमा में संशोधन न होने के कारण हानि

एच.ई.आर.सी. के विनियमों के अनुरूप प्रतिभूति जमा न रखने के कारण कंपनी को ₹ 72.50 लाख का नुकसान उठाना पड़ा।

हरियाणा बिजली विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम, 2014[12] में यह प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, लाइसेंसधारक (अर्थात् डिस्कॉम) प्रतिभूति जमा (अग्रिम खपत जमा- ए.सी.डी.) की उपयुक्तता के लिए उपभोक्ता के पिछले वर्ष के अप्रैल से मार्च तक के उपभोग पैटर्न की समीक्षा करेगा और ग्राहक को दो बिलिंग चक्रों की अवधि के लिए औसत भुगतान[13] के बराबर जमा राशि बनाए रखने की आवश्यकता होगी।

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) के सिरसा ऑपरेशन सर्कल में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अवलोकित किया:

(i) एक बड़े आपूर्ति उपभोक्ता[14] को 1,100.395 किलोवाट कनेक्टेड लोड का कनेक्शन दिया गया था (फरवरी 2013) जिसे 1,797.159 किलोवाट तक बढ़ाया गया था (अक्तूबर 2013)। इस कनेक्शन के लिए कंपनी ने ₹ 13.49 लाख का ए.सी.डी. जमा करवाया था, हालांकि, एच.ई.आर.सी. के विनियम 2014 के अनुसार, ए.सी.डी. को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए वास्तविक बिलों के आधार पर 1 अप्रैल 2014 को संशोधित किया जाना था, जो ₹ 57.49 लाख परिकलित किया गया। उपभोक्ता ने दिसंबर 2014 से बकाया के भुगतान में चूक की और कंपनी ने 30 जनवरी 2015 को कनेक्शन काट दिया। उस समय तक, चूक की राशि बढ़कर ₹ 134.07 लाख हो गई और ₹ 13.49 लाख के उपलब्ध ए.सी.डी. को समायोजित करने के बाद, भुगतान न की गई राशि ₹ 120.58 लाख परिकलित हुई।

---

12 8 जनवरी 2014 को अधिसूचित।

13 औसत भुगतान पिछले वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए वास्तविक बिलों के औसत के बराबर होगा।

14 उपभोक्ता खाता संख्या ए.एच.एच.टी. - 0001

(ii) इसी प्रकार, एक अन्य बड़े आपूर्ति उपभोक्ता[15] को जून 1992 में 822.766 किलोवाट के कनेक्टेड लोड के साथ कनेक्शन प्रदान किया गया था, जिसे 1,119.301 किलोवाट तक बढ़ाया गया था (सितंबर 2012)। कंपनी का कुल ए.सी.डी. ₹ 20.35 लाख था जो दिसंबर 2013 में परिकलित किया गया था लेकिन नवंबर 2014 तक किश्तों में एकत्र किया गया था। हालांकि, एच.ई.आर.सी. के विनियम 2014 के अनुसार, ए.सी.डी. को पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान किए गए वास्तविक बिलों के आधार पर 1 अप्रैल 2014 को संशोधित किया जाना था, जो ₹ 48.85 लाख परिकलित किया गया। दिसंबर 2014 से उपभोक्ता के भुगतान में चूक हुई और कंपनी ने 30 जनवरी 2015 को कनेक्शन काट दिया। उस समय तक कुल बकाया बढ़कर ₹ 50.24 लाख हो गया और ₹ 20.35 लाख की उपलब्ध ए.सी.डी. को समायोजित करने के बाद कुल भुगतान न की गई राशि ₹ 29.89 लाख परिकलित हुई।

कंपनी ने ₹ 150.47 लाख (₹ 120.58 लाख और ₹ 29.89 लाख) के अपने भुगतान न किए गए बिजली प्रभारों की वसूली के लिए संबंधित कनेक्शनों के संबद्ध जमानतियों को नोटिस जारी किए (4 मार्च 2015)। हालांकि जमानतियों ने कंपनी द्वारा उनके खिलाफ प्रतिरोधात्मक कार्रवाई न करने और बिजली प्रभारों की बकाया चूक राशि को उनके खाते में हस्तांतरित ना करने के लिए अदालत में प्रार्थना की (मार्च 2015), जिसे अदालत ने मंजूरी दे दी थी (जुलाई 2015)। जमानती भी जनवरी 2017 और नवंबर 2017 के दौरान चूककर्ता बन गए तथा जनवरी 2018 में कंपनी द्वारा उनके भी कनेक्शन काट दिए गए। तब से, कंपनी द्वारा बिक्री नियमावली (निर्देश संख्या 7.3) के पालन में, जिसके अनुसार हरियाणा विद्युत उपक्रम (बकाया वसूली) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया वसूली का नियम है, अपने बकाया की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि कंपनी को वर्ष 2013-14 के उपभोग पैटर्न के आधार पर 2014-15 के दौरान दोनों उपभोक्ताओं से ₹ 106.34 लाख (₹ 57.49 लाख और ₹ 48.85 लाख) का ए.सी.डी. रखने की आवश्यकता थी, कंपनी के पास केवल ₹ 33.84 लाख (₹ 13.49 लाख और ₹ 20.35 लाख) का ए.सी.डी. था। इसने एच.ई.आर.सी. के विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं से ₹ 72.50 लाख (₹ 106.34 लाख - ₹ 33.84 लाख) का अतिरिक्त ए.सी.डी. प्राप्त नहीं किया। यदि कंपनी ने एच.ई.आर.सी. के नियमों के अनुसार अप्रैल 2014 में ए.सी.डी. को संशोधित किया होता, तो अवसूली को ₹ 72.50 लाख की सीमा तक कम किया जा सकता था।

प्रबंधन ने बताया (अगस्त 2019) कि उपभोक्ताओं के ए.सी.डी. पहले से ही पुराने निर्देशों के अनुसार संशोधन के अधीन थे और नए नियम जनवरी 2014 में अधिसूचित किए गए थे लेकिन ये 1 अप्रैल 2014 को एस.ई./वाणिज्यिक द्वारा परिचालित किए गए थे। फिर, यह अनुमान लगाया गया कि अगला संशोधन 1 अप्रैल 2015 को होगा। तथापि, बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक उपभोक्ता के ए.सी.डी. को संशोधित/अद्यतन करना आसान नहीं था, लेकिन अब, ए.सी.डी. को बिलिंग प्रणाली द्वारा स्वचालित रूप से संशोधित किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एच.ई.आर.सी. विनियम 2014 (8 जनवरी 2014 को अधिसूचित) ने 2005 के विनियमों को निरस्त कर दिया था और यह अधिसूचना की तिथि

[15] उपभोक्ता खाता संख्या डी.आर.एच.टी. - 0003

से स्वत: लागू थे, एस.ई./वाणिज्यिक द्वारा उसके परिचालन की तिथि से नहीं। इसके अतिरिक्त, कंपनी को अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए बड़े आपूर्ति उपभोक्ता के ए.सी.डी. को मानवीय रूप से संशोधित करना चाहिए था।

यह मामला सरकार के पास भेजा गया था (जून 2019); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि प्रबंधन को ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए कि प्रत्येक उपभोक्ता का ए.सी.डी अपने नियत समय पर संशोधित हो तथा ए.सी.डी. के संशोधन न करने के लिए संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करे।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

3.6 मानव-रहित सब-स्टेशनों पर निष्फल व्यय

कंपनी ने मानव-रहित सब-स्टेशनों के निर्माण और बाद में उनके पारंपरिक सब-स्टेशन में रूपांतरण पर ₹ 11.14 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

कंपनी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रस्ताव पर, किसी तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के बिना मानव-रहित सब-स्टेशनों के निर्माण के लिए अनुमोदन दिया (जनवरी 2007-मार्च 2009) और अगस्त 2008 तथा अप्रैल 2012 के मध्य ₹ 34.46 करोड़ की कुल लागत पर 33 किलोवाट के 15 मानव-रहित सब-स्टेशनों का निर्माण किया। इन सब-स्टेशनों को जनरल पैकेट रेडियो सर्विस[16] राउटर्स का उपयोग करके एक रिमोट नियंत्रित निगरानी स्टेशन से जोड़ा जाना था। कॉन्फ़िगरेशन सॉफ़्टवेयर स्वचालित रूप से परिचालनों को ऑन/ऑफ, इवेंट/डाटा को अपलोड करेगा और लघु संदेश सेवा (एस.एम.एस.), वॉयस कॉल, ई-मेल आदि के माध्यम से कॉल आउट के मामले में संबंधित क्षेत्र के कर्मचारियों को एक संदेश भेजेगा।

कंपनी ने उल्लेख किया (मार्च 2017) कि इन सब-स्टेशनों की देखभाल करने और रख-रखाव के लिए फील्ड कार्यालयों में एक सामान्य समस्या थी क्योंकि फील्ड कार्यालयों में विशेषज्ञता की कमी के कारण सब-स्टेशन में किसी भी फॉल्ट का निदान/मरम्मत करना मुश्किल था। इसलिए, कंपनी ने इनमें से छ: मानव-रहित सब-स्टेशनों को पारंपरिक प्रकार में परिवर्तित करने का निर्णय लिया (अक्तूबर 2017) और ₹ 6.22 करोड़ की लागत पर एक कार्य आदेश प्रदान किया गया (मई 2018)। हमने अवलोकित किया कि एक मानव-रहित सब-स्टेशन निर्माण के समय पारंपरिक प्रकार की तुलना में ₹ 41 लाख महंगा था।

इस प्रकार, किसी तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के बिना मानव-रहित सब-स्टेशनों के चालू होने के कारण कंपनी को ₹ 11.14 करोड़[17] का परिहार्य व्यय करना पड़ा।

प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2019) कि राज्य के भीतर मजबूत विद्युत नेटवर्क बनाने के लिए नई प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की पूरी कोशिश की गई थी। तथापि, स्थानीय बाजार में

---

[16] यह एक लागत प्रभावी पैकेट उन्मुख वायरलेस डाटा संचार सेवा है जो निर्धारित दूरसंचार नेटवर्क की तुलना में उच्च डाटा ट्रांसफर गति प्रदान करती है। यह तत्काल कनेक्शन और तुरंत डाटा ट्रांसफर प्रदान करता है। यह मोबाइल पर इंटरनेट एप्लिकेशन भी प्रदान करता है।

[17] छ: मानव-रहित सब-स्टेशनों का पारंपरिक प्रकार के सब-स्टेशनों में रूपांतरण पर ₹ 6.22 करोड़ और 2009-10 में पारंपरिक सब-स्टेशन की तुलना में एक स्वचालित सब-स्टेशन की अतिरिक्त लागत होने से 12 सब-स्टेशनों (15 में से तीन सब-स्टेशन डी.एच.बी.वी.एन.एल. को हस्तांतरित किए गए थे) के लिए ₹ 41 लाख की दर पर ₹ 4.92 करोड़।

दोषपूर्ण उपकरणों के प्रतिस्थापन की अनुपलब्धता, मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा अधिक समय और दरों की मांग, वार्षिक रखरखाव अनुबंध से संबंधित मामले और बार-बार ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन के कारण कंपनी ने मानव रहित सब-स्टेशनों के कामकाज को पारंपरिक मोड में बदलने का निर्णय लिया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नई तकनीक के लिए जाने से पहले, कंपनी एक व्यवहार्यता अध्ययन कर सकती थी और दोषपूर्ण उपकरणों आदि के प्रतिस्थापन के मुद्दों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता था और मूल उपकरण विनिर्माता के साथ अनुबंध में उपयुक्त प्रावधानों के माध्यम से समाधान किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, कंपनी एक बार में 15 सब-स्टेशनों को चालू करने की बजाय पायलट आधार पर एक मानव-रहित सब-स्टेशन को चालू कर सकती थी।

यह मामला सरकार के पास भेजा गया था (जुलाई 2019); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि कंपनी पायलट आधार की बजाय एक बार में 15 सब-स्टेशनों को चालू करने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करे।

3.7 स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटरों की अपर्याप्तता

कार्यात्मक स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटरों की अपर्याप्तता के कारण कंपनी को ₹ 59.83 करोड़ का प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार वहन करना पड़ा।

एक स्वचालित पावर फैक्टर कैपेसिटर (ए.पी.एफ.सी.) एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो करंट प्रवाह और वोल्टेज को विनियमित करके पावर फैक्टर[18] में सुधार करता है। भारतीय विद्युत ग्रिड कोड सबसे सुरक्षित, विश्वसनीय, मितव्ययी और कुशल ढंग से विद्युत प्रणाली की योजना, विकास, रखरखाव और संचालन के लिए सिस्टम में प्रतिभागियों से मांग करता है। कंपनी ने मौजूदा ए.पी.एफ.सी. में दोषों की पहचान करने के लिए अपने 33 किलोवाट के सभी 183 सब-स्टेशनों (एस.एस.) का सर्वेक्षण करने के लिए एक परामर्शदाता फर्म को नियुक्त किया (दिसंबर 2013)। परामर्शदाता की रिपोर्ट से पता चला कि केवल 17 एस.एस. में कैपेसिटर बैंक सफलतापूर्वक काम कर रहे थे। कंपनी ने ए.पी.एफ.सी. की मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए निविदा जारी की (सितंबर 2014)। तथापि, बोलीदाताओं की भागीदारी न होने के कारण इसे अमल में नहीं लाया जा सका।

इसके बाद, कंपनी ने अपने मीटरिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफिस के माध्यम से 309 सब-स्टेशनों में ए.पी.एफ.सी. के कार्यचालन पर एक अन्य सर्वेक्षण करवाया (जुलाई 2018)। इस अध्ययन ने दर्शाया कि केवल 67 सब-स्टेशनों (21.68 प्रतिशत) में ए.पी.एफ.सी. कार्यात्मक थे, जबकि शेष 242 सब-स्टेशनों (78.32 प्रतिशत) में क्षतिग्रस्त थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो सर्वेक्षणों के बाद भी कंपनी ने दोषपूर्ण ए.पी.एफ.सी. की मरम्मत के लिए कोई कार्रवाई नहीं की (मार्च 2019)। अपर्याप्त कार्यशील ए.पी.एफ.सी. के कारण कंपनी को 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹ 59.83 करोड़ का प्रतिक्रियाशील ऊर्जा[19]

---

[18] एक ए.सी. इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के पावर फैक्टर को सर्किट में बहने वाली स्पष्ट विद्युत को लोड द्वारा अवशोषित वास्तविक विद्युत के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है।

[19] यह बिजली की आपूर्ति में मौजूद शक्ति है जो कोई उपयोगी काम नहीं करती है लेकिन बिजली प्रणाली लाइनों में आगे और पीछे चलती है।

प्रभार वहन करना पड़ा, जिससे बचा जा सकता था यदि कंपनी ने पर्याप्त ए.पी.एफ.सी. स्थापित करने और क्षतिग्रस्त ए.पी.एफ.सी. की मरम्मत के लिए कार्रवाई की होती।

कंपनी ने बताया (दिसंबर 2019) कि उसने 2009-10 से सभी नव-निर्मित/संवर्धित सब-स्टेशनों में ए.पी.एफ.सी. स्थापित करना अनिवार्य कर दिया था। सभी गैर-परिचालनात्मक ए.पी.एफ.सी. को चालू किया जा रहा है, जिसके लिए मार्च 2020 में नए ए.पी.एफ.सी. पेनलों की खरीद और गैर-कार्यशील ए.पी.एफ.सी. की मरम्मत के लिए निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी.) जारी की गई है।

उत्तर, दोनों सर्वेक्षणों में रिपोर्ट की गई दोषपूर्ण और गैर-कार्यशील ए.पी.एफ.सी. को जारी रखने और सर्वेक्षण रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई के अभाव की व्याख्या नहीं करता है, जिसके कारण 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹ 59.83 करोड़ की प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभार की घटना हुई।

यह मामला सरकार के पास भेजा गया था (जुलाई 2019); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2020)।

यह सिफारिश की जाती है कि प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों के भुगतान से बचने के लिए कंपनी पर्याप्त ए.पी.एफ.सी. स्थापित करने और क्षतिग्रस्त को ठीक करने के लिए कार्रवाई कर सकती है।